# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या— 38/2025

बउनवान

फिरोज पुत्र गफ्फार, आयु 33 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी बरखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला—बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :—1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक 12.12.2025**

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 13.02.2025 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बमूलिया, तहसील—अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 0.80 है., पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 960/— रूपये शास्ति एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत एवं न्याय के नैसर्गिक नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उसके द्वारा ग्राम बमूलियाकलां की आराजी खसरा संख्या 1227/12 रकबा 0.13 है. व खसरा नंबर 15 रकबा 0.24 है. क्रय की है जो उसकी खातेदारी में दर्ज है। उक्त खरीदशुदा आराजी के लगवां आराजी खसरा नंबर 82 चारागाह स्थित है जिस पर अपीलांट के पिता काश्त करते है। अपीलांट ने अपने खाते की भूमि को भी कभी काश्त नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया तथा एकतरफा निर्णय पारित किया है। उक्त भूमि मौके पर खाली पड़ी है तथा आरोपित राशि भी जमा करवा दी है। अपीलांट एक छात्र है तथा आरपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2025 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस उभयपक्ष हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट की खरीदशुदा आराजी के लगवां आराजी खसरा नंबर 82 चारागाह स्थित है जिस पर अपीलांट के पिता काश्त करते है। अपीलांट ने अपने खाते की भूमि को भी कभी काश्त नहीं किया। अपीलांट तथा उसके पिता ने गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 11:13:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

144 खसरा नबर 1227/12 रकबा 0.13 हे0 व खसरा नबर 15 रकबा 0.24

नोटिस जारी करने के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में भी कई बार प्रार्थना पत्र पेश किये हैं। अपीलांट एक छात्र है तथा आरपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है। यदि अपीलांट को सजायाब किया गया तो उसका भविष्य खराब हो जावेगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2025 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अपीलांट द्वारा संवत 2081 में भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण करने पर उसे प्रकरण संख्या 73/24 में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2024 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट एवं उसके पिता दोनो ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र गलत नोटिस जारी करने बाबत पेश किये हैं। तथा अपीलांट ने भी उसके खाते की भूमि तथा अतिक्रमित भूमि उसके पिता द्वारा काश्त किये जाने का कथन किया है। अपीलांट आर पी एस सी चयनित छात्र है। अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना हम उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 7/25 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2025 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 13.02.2025 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2025 यथावत रहेगा। साथ ही तहसीलदार अन्ता को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी पर अतिक्रमण की नियमानुसार जांच कर वास्तविक अतिक्रमी के विरूद्ध वास्तविक अतिक्रमित रकबे पर कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 11:13:21 IST
Reason: SelfAttested

144 खसरा नंबर 1227/12 रकबा 0.13 हे0 व खसरा नंबर 15 रकबा 0.24